कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

पत्रांकः—

दिनांकः—

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

सेवा में,

अशोक कुमार ईन्टरप्राईजेज प्रा0लि0,
श्रीकृष्णनगर, बेगुसराय।

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एल029—टी01 से मिठौली, पैकेज संख्या—बी0आर0—21आर0—416 का अनुरक्षण कार्य नही करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एल052—टी01 से मिठौली, पैकेज संख्या—बी0आर0—21आर0—416 का अनुरक्षण कार्य आपको अनेंको बार मौखिक कहने के उपरांत भी नही किया जा रहा है जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है एवं विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी के निर्देशों का अवहेलना किया जा रहा है, जो अत्यंत ही खेदजनक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) दिनों के अंदर अनुरक्षण कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपके एकरारनामा को रदद् करते हुए डिबार एवं निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसे अंतिम स्मार समझें।

विश्वासभाजन,

ह0/—

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, मधुबनी

ज्ञापांक 1498 दिनांक 04/6/21

प्रतिलिपिः—संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर अनुरक्षण कार्य 03 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जो संवेदक अनुरक्षण कार्य पूर्ण नही करते है तो उन सभी संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई भी करेंगें। यदि संवेदक के द्वारा कार्य नही किया गया है और आपके द्वारा उन सभी संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई भी नही की गई है, तो आपके विरूद्ध अनुशात्मक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी।

03.06.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Scanned with CamScanner